बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
स0–8डी0(आयोग)–33–17/2017– 79

प्रेषक,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंन्द्र पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक– 16/07/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों,पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹275.65 लाख एवं गैर वेतन ₹115.02 लाख अर्थात कुल ₹390.67 लाख (तीन करोड़ नब्बे लाख सड़सठ हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत

स्वीकृत राशि बजट मुख्यशीर्ष–''2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–01 अनुसूचित जातियों का कल्याण–001–निदेशन और प्रशासन–0003–राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्राथमिक इकाई 0003.3104–सहायक अनुदान–वेतन एवं 0003.3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन मांग सं0–44 विपत्र कोड 44-2225010010003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

2– इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि को निकासी कर वित्त विभागीय दिशा–निर्देश पत्रांक–470 दिनांक–14.01.2026 के आलोक में आयोग के पी0एल0 खाता में हस्तांतरित करेंगे। आयोग के द्वारा सहायक अनुदान मद की राशि का व्यय किया जाएगा। किसी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

3– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17–4–98, संकल्प संख्या–12888/वि0, दिनांक 03.12.2024 एवं पत्रांक–314/वि0 दिनांक–01.04.2026 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

4–आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करा लिया जाय।

5– व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेंगे।

6– इस प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7– सचिव राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार,पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC FORM-42A में एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत्यादेश के निर्गत तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं ह0) कार्यालय में भेजने हेतु विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा देगें।

8– इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16.07.26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–8डी0(आयोग)–33–17/2017– 79 पटना, दिनांक– 16/07/2026

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा/ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/ सरकार के अवर सचिव /सचिव कोषांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

16.07.26

Letter-Secratry